अनुसूची ७

सूची14 फारम सं. 562

# उपायुक्त का न्यायालय, दुमका।

State
Vrs
Unknown

## आदेश फलक

देखे अभिलेख हस्तक 1949 का नियम129

आदेश पत्रक ता0.............................................से.............................................तक

जिला. **Confiscation Case**............ सं0.............02.............सन् **2021-22**

केस का प्रकार.............................................

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख<br>1. | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>2. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ<br>3. |
|---|---|---|
| 11.03.2022 | पुलिस अधीक्षक,दुमका का ज्ञापांक 131/अप0शा0 दिनांक–22.01.2022 के साथ अनुलग्नक सहायक अवर निरीक्षक रामगढ़ थाना का ज्ञापांक–1578/21 दिनांक–31.12.2021 द्वारा प्राप्त कागजातों का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक दुमका द्वारा उल्लेख किया गया है कि रामगढ़ थाना काण्ड सं0–67/2021 दिनांक– 08.07.2021 धारा 12/13 Jharkhand Bovine Animal Prohivition of Slaughter Act 2005, 11 Prevention of Crulty to Animal Act-1960 के अन्तर्गत राम लखन पाल, वर्तमान सहायक अवर निरीक्षक रामगढ़ थाना दुमका के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त कन्टेनर वाहन सं0–UP21CN-8009 के चालक एवं मालिक तथा अन्य अज्ञात के विरूद्ध गोवंशी पशु को हत्या करने के आशय से कुरतापूर्वक परिवहन एवं तस्करी करने के आरोप में अंकित किया गया है।<br>अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोपरांत यह काण्ड प्राथमिकी अभियुक्तों कन्टेनर वाहन सं0–UP21CN-8009 के चालक एवं कन्टेनर वाहन सं0–UP21CN-8009 मालिक एवं अन्य अज्ञात के विरूद्ध धारा 12/13 Jharkhand Bovine Animal Prohivition of Slaughter Act 2005, 11 Prevention of Crulty to Animal Act-1960 के अन्तर्गत सत्य पाया गया। इस काण्ड के घटना स्थल से जप्ती सूची के अनुसार एक लाल रंग का दस चक्का कन्टेनर राजि0 नं0–UP21CN-8009 पर लदे छोटा–बड़ा उजला–काला रंग का 19 बैल तथा चौदह गाय को 33 मवेशी को विधिवत् जप्त सूची बनाकर दिनांक–08.07.2021 को जप्त किया गया है।<br>इस काण्ड के अनुसंधानकर्त्ता सहायक अवर निरीक्षक लीलाधर सिंह, रामगढ़ थाना द्वारा काण्ड में जप्त एक लाल रंग का दस चक्का का कन्टेनर राजि नं0– UP21CN-8009 पर अधिहरण की कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया है।<br>पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इस काण्ड में जप्त एक लाल रंग का दस चक्का का कन्टेनर राजि नं0– UP21CN-8009 पर अधिहरण की कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया है। | |

अनुसूची14 फारम सं. 562

| [illegible] की क्रम सं0 और तारीख | आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| | इस प्रकार स्पष्ट है कि गौवंशी पशु को निर्दयतापूर्वक हाईवा गाड़ी में लादकर परिवहन एवं तसकरी करने के आरोप में कन्टेनर राजि नं0– UP21CN-8009 को जब्त किया गया है।<br><br>सहायक अवर निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन (कन्टेनर) के चालक गाड़ी छोड़कर भाग जाने के कारण चालक एवं मालिक का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। फलस्वरूप इस काण्ड में जप्त की गई कन्टेनर के चालक एवं मालिक से कारण पृच्छा प्राप्त नहीं किया जा सका। इस वाद में सहायक अवर निरीक्षक रामगढ़ थाना द्वारा भी जप्त कन्टेनर के चालक एवं मालिक के जानकारी के संबंध में कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है।<br>ऐसी स्थिति में जप्त कन्टेनर राजि0 नं0– UP21CN-8009 को अवैध रूप से गौवंशी पशुओ को निर्दयता पूर्वक लोडकर ले जाने के कारण अधिहरण (राजसात) किया जाता है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br>[signature] 11/3/22<br>उपायुक्त,<br>दुमका।<br><br>[signature] 11/3/22<br>उपायुक्त,<br>दुमका। | 21/3/22 |

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 16:48:04 +05:30
Location: 169.254.227.244